न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 34/2014 (769/2002)
जीसीएमएस नम्बर :-2014/00087

1. रोड़ा वल्द माहाराम आचारज (फौत) के कायम मुकामान-
   1/1. नन्दकिशोर पुत्र रोड़ा आचारज
   1/2. गोविन्द पुत्र प्रभूलाल आचारज
   1/3. पूजा पुत्री प्रभूलाल आचारज
   1/4. बाली पत्नि प्रभूलाल आचारज
   समस्त निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

---वादीगण

-: बनाम :-

1. पन्नालाल पुत्र दीपा आचारज (फौत) के कायम मुकामान-
   1/1- हरकलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल आचारज
   1/2- हीरालाल पुत्र स्व0 पन्नालाल आचारज
   1/3- जमना देवी पुत्री स्व0 पन्नालाल आचारज
   1/4- पुष्पा देवी पुत्री स्व0 पन्नालाल आचारज
   1/5- मांगी देवी पुत्री स्व0 पन्नालाल आचारज
   1/6- गणपत पुत्र स्व0 पन्नालाल आचारज
   समस्त निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

2. रतनलाल पुत्र दीपा आचारज (ब्राह्मण)
3. हजारी पुत्र हीरा आचारज (ब्राह्मण)
   समस्त निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा।

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित-

1. श्री अमित कोठारी अभिभाषक वादीगण उपस्थित।
2. श्री अम्बालाल कुमावत अभिभाषक प्रतिवादी संख्या-1/1
3. श्री दिनेश बाफना अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2
4. श्री कमल काष्ट अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1/2
5. प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
6. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

6/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

-: निर्णय :-

दिनांक 06/6/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल वादी रोडू (फौत) ने अपने जीवनकाल में जरिये अधिवक्ता दिनांक 09.07.2002 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष एक दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 08.10.2002 को वाद संख्या 769/2002 बउनवानी रोडू बनाम पन्नालाल वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक निग/टीए/6680/11/भीलवाड़ा/2183 दिनांक 19.02.2014 द्वारा पत्रावली वापस लौटाने के उपरान्त इस न्यायालय को पत्रावली प्राप्त होने पर वाद संख्या 34/2014 बउनवानी रोडू बनाम पन्नालाल वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादी ने अपने **वाद पत्र में** इस आशय का **कथन किया कि-** वादी की खातेदारी अधिकार व कब्जे की आराजीयात ग्राम पुर में स्थित है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 3466 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा व आराजी नम्बर 3467 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा है। जिसके हाल सैटलमेण्ट में निम्न आराजी नम्बर कायम किये गये-

आराजी नम्बर	रकबा
8450	19 बिस्वा
9346/8601	2 बीघा 8 बिस्वा
8601	1 बीघा 7 बिस्वा
कुल किता 3	कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा

हाल सैटलमेण्ट वालो ने गलत तौर पर वादी के खातेदारी अधिकार व कब्जे की आराजी को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी, जिसमें से आराजी नम्बर 8450 रकबा 19 बिस्वा प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नम्बर 3 के नाम पर व आराजी नम्बर 9346/8601 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व आराजी नम्बर 8601 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। जबकि सैलमेण्ट वालो को कोई अधिकार वादी के नाम से प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज करने का नहीं है। इस कारण उपरोक्त आराजीयात हाल नम्बर की वादी के नाम पर दर्ज कराई जाना आवश्यक है।

यह घोषणा भी कराया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त जायदाद जिसके हाल नम्बर उपरोक्त दर्ज किये गये है, वादी के खातेदारी अधिकार की है व प्रतिवादीगण को इन आराजीयात में जो वादी के कब्जे काश्त में है, उसमें दखल करने, कब्जा करने व उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादीगण के नाम पर उपरोक्त आराजीयात होने से प्रतिवादीगण हमसलाह हो दिनांक 08.07.2002 को वादी को धमकी दी कि हम तो इन आराजीयात पर कब्जा करेगे व फसल तैयार होने पर हम ले जायेगे, इस कारण वादी को नोइयत वाद दिनांक 08.07.2002 से उत्पन्न होकर जारी है।

6/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया है व प्रतिवादी नम्बर 4 से कोई सहायता नहीं चाही गई है। मात्र राजस्व रिकार्ड में डिक्री के अनुसार वादी का नाम अंकित कराना है। इस कारण यह वाद बिना नोटिस दिये पेश किया जा रहा है।

यह आराजीयात न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित है व इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् का होने से वाद न्यायालय श्रीमान् में पेश है।

वाद निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अन्दर अवधि पेश है। दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण आराजीयात जैर बहस पर कब्जा कर ले तो कब्जा दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे-

1- कि हाल आराजी नम्बर 8450, 9346/8601 व 8601 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वादी के खातेदारी अधिकार व कब्जे की है, इस अमर की घोषणा कराये जाना आवश्यक है व इस आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का नाम हटा वादी के नाम पर खातेदारी अधिकार में दर्ज कराये जाने का आदेश प्रतिवादी नम्बर 4 को दिलाये जाना आवश्यक है व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि उपरोक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण दखल न करे व न करावे एंव वादी के उपयोग-उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न न करे, न करावे तथा आराजीयात पर कब्जा न करे एंव यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण कब्जा कर ले तो कब्जा वादी को दिलाया जावे।

2- कि हर्जा खर्चा मुकदमा मय मेहनताना वकील व अन्य कोई दाद मुफिद वादी बरामद हो, वादी को बख्साई जावे। वादी ने अपने वाद पत्र का सत्यापन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 08.10.2002 को वाद को वाद संख्या 469/2002 बउनवानी रोडू बनाम पन्नालाल दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

बाद तामील दिनांक 20.12.2002 को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। **प्रतिवादी नम्बर 1 व 2** ने अपने **जवाबदावा** में वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए इस आशय का **कथन किया कि-**

यह गलत होकर अस्वीकार है कि वाद पत्र में वर्णित साबिक अथवा नये नम्बरान् की भूमि वादी के कानूनी खातेदारी अधिकार एंव कब्जे की रही है। साबिक एंव नये नम्बरान् की भूमि पर न तो कभी वादी का कानूनी हक कायम हुआ है एंव न ही यह भूमि वादी के कब्जे काश्त में कभी रही है। साबिक खसरा नम्बरान् के जो नये नम्बरान् बनना वादी ने बताया है वह तथ्य स्वीकार नहीं है। इस तथ्य को वादी साबित करावे।

आराजी नम्बर 8450 से जवाबदाता प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है। अन्य दो नम्बरान् की भूमि को भू-प्रबन्ध विभाग वालो ने जवाबदाता

6/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं की है। इन दोनो नम्बरान् की भूमि पूर्व में जवाबदाता प्रतिवादीगण के पिता दीपाजी के नाम पर दर्ज थी जो भूमि दीपाजी की मृत्यु पर विरासत से जरिये इन्तकाल नम्बर 241 दिनांक 25.07.1977 द्वारा जवाबदाता प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हुई है जिसका हवाला संबंधित जमाबन्दी संवत् 2034 में दर्ज है। आराजीयात नम्बर 9346/8601 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा एंव नम्बर 8601 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा पर जब से जवाबदाता प्रतिवादीगण को समझ आई है तब से जवाबदाता प्रतिवादीगण के पिताजी दीपाजी का हक एंव कब्जा काश्त देख रहे है एंव दीपाजी के जीवनकाल में जवाबदाता प्रतिवादीगण दीपाजी के साथ इन नम्बरान् की भूमि पर काश्त करते थे एंव दीपाजी की मृत्यु के बाद जवाबदाता प्रतिवादीगण इन नम्बरान् की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है एंव इस भूमि का लगान राज्य सरकार को जमा कराते चले आ रहे है।

विवादित भूमि न तो वादी के खातेदारी अधिकार की है एंव न ही वादी के कब्जे की है अतः वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा अथवा स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

वादी ने वाद पत्र में मनगढन्त व निराधार कथन दर्ज किये है। वादी को दिनांक 08.07.2002 को जवाबदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनायवाद उत्पन्न नहीं हुई है। उक्त वर्णित नम्बरान् की भूमि उक्त वर्णित इन्तकाल से जवाबदाता प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है। जिस इन्तकाल आदेश के विरूद्ध वादी ने कोई अपील पेश नहीं की है। उक्त हाल दोनों नम्बरान् की भूमि जवाबदाता प्रतिवादीगण के पिता के नाम पिछले 35 वर्षो से ज्यादा अवधि से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है एंव अर्सा 70 वर्ष से ज्यादा अवधि से इस भूमि पर दीपाजी एंव दीपाजी के बाद जवाबदाता प्रतिवादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन इन सब तथ्यो को छुपाते हुए वादी ने गलत बिनायदावा बताकर एंव सही बिनायवाद को छिपाकर निराधार वाद पत्र पेश किया है। वाद पत्र वादी सर्वथा बेरून मियाद है।

प्रतिवादी संख्या 4 को धारा 80 जा0दी0 के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जिसके अभाव में वाद पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र वादी सर्वथा बैरून मियाद होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात पर वादी का कभी कोई कानूनी हक एंव कब्जा नहीं रहा है एंव न ही ऐसा आज है। अतः न तो जवाबदाता प्रतिवादीगण द्वारा नया कब्जा किये जाने का प्रश्न है एंव न ही वादी को कब्जा दिलाया जा सकता है। वादी द्वारा जो प्रार्थना की गई है वह गलत होकर अस्वीकार है। वाद पत्र वादी मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

विशेष उजर में अंकित किया गया कि साबिक आराजीयात नम्बर 3466 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एंव नम्बर 3467/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा जवाबदाता प्रतिवादीगण के पिता दीपाजी के हक एंव कब्जे की भूमि दीपाजी के पिता के समय से थी। इन दोनों नम्बरान् की भूमि गलत तौर से वादी रोडू के नाम दर्ज हो गई थी जबकि इस गलत अंकन के बावजूद इस भूमि पर कब्जा दीपाजी का चला आ रहा था। अतः वादी रोडू ने दिनांक 10.12.67 तद्नुसार मिति मिगसर सुद नवमी संवत् 2024 को स्टाम्प पर एक इकरारनामा दीपाजी के पक्ष में इस आशय का तहरीर कर दिया कि इन दोनों

6/6/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

साबिक नम्बरान् की भूमि दीपाजी की बापी होकर दीपाजी के कब्जे में लिखावट लिखने के दिन तक कब्जे में चली आ रही है। वादी रोडू ने इस लिखावट में यह भी इकरार किया कि इस भूमि पर उसका (रोडू का) कोई मालिकाना हक नहीं है लेकिन गलती से सरकारी रेकार्ड में उसके (रोडू के) नाम दर्ज हो गई है अतः वह (रोडू) इस भूमि को सरकार में दरख्वास्त देकर दीपा के नाम दर्ज करा देगा। जिस इकरारनामें पर रोडू ने गवाहान की मौजूदगी में अपना अंगुठा किया। जिस इकरारनामे की पालना में वादी रोडू ने भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान सक्षम अधिकारी के समक्ष दीपाजी के साथ उपस्थित होकर इकरारनामें में वर्णित में वर्णित तथ्यो को सही मानते हुए भूमि को दीपाजी के नाम दर्ज करा दी एंव वादी रोडू ने फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा पर अपना अंगुठा कर दिया। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक नम्बरान् के बये नम्बरान् की भूमि की कच्ची एंव पक्की पानड़ी दीपाजी के नाम जारी की एंव संबंधित नये वर्षो की जमाबन्दी में भूमि दीपाजी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई। पिछले करीब 25 वर्ष से ज्यादा अवधि तक यह भूमि जवाबदाता प्रतिवादी के पिता दीपाजी एंव उनकी मृत्यु के बाद जवाबदाता प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है एंव उनका कब्जा होकर वो ही लगान जमा करा रहे है। लेकिन वादी ने इतनी लम्बी अवधि तक चुप रह कर निराधार बिनाय वाद बताते हए वाद पत्र पेश किया है।

उक्त इकरारनामे द्वारा एंव भू-प्रबन्ध की कार्यवाही में वादी की सहमति एंव स्वीकृति के आधार पर भूमि सही तौर पर दीपाजी के नाम दर्ज हुई है अतः वादी अपने एडमिशन के विरूद्ध नहीं जा सकता है एंव वह इस स्वीकृति को मना करने से विबंधित (ऐस्टोप्ड) है।

वादी का उक्त भूमि पर पिछले करीब 60-70 वर्ष से कभी कब्जा नहीं रहा एंव पिछले करीब 25 वर्ष से ज्यादा अवधि में भूमि जवाबदाता प्रतिवादीगण एंव उनके पिता के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है। अतः इतनी लम्बी अवधि तक वादी ने चुप रहकर निराधार वाद पत्र पेश किया है।

वाद पत्र वादी सर्वथा बैरून मियाद पेश हुआ है। जवाबदाता प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए उक्त इन्तकाल आदेश एंव दीपाजी के नाम हुए इन्द्राज पर लम्बी अवधि तक चुप रहकर वादी ने कोई कार्यवाही नहीं कराई है एंव निराधार तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश किया है जो मय विशेष हर्जा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादी मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। जवाबदाता प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब दावा का सत्यापन किया गया।

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2002 को प्रतिवादी नम्बर 3 बावजूद इत्तला गैरहाजिर रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 29.06.2005 को प्रतिवादी संख्या 4 का जवाब बन्द किया गया। दिनांक 15.12.2005 को पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनो के आधार पर अनुतोष सहित कुल 5 तनकीयात कायम की गई। दिनांक 15.02.2010 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत

6/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश 14 नियम 5 सी0पी0सी0 पेश किया गया जो स्वीकार किया जाकर संशोधित **तनकीयात** कायम की गई जो निम्नलिखित है-

1. आया साबिक आराजी नम्बर 3466 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा व आराजी नम्बर 3467 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वादी के खातेदारी अधिकार की है? ---**वादी**

2. आया हाल सैटलमेण्ट वालो ने वादी की भूमि साबिक नम्बर 3466 व 3467 के नवीन नम्बर 8450 रकबा 19 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर व आराजी नम्बर 9346/8601 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व आराजी नम्बर 8601 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी, इन आराजीयात को वादी अपने नाम पर कराने का अधिकारी है?--**वादी**

3. आया वादी उपरोक्त आराजीयात अपने नाम पर घोषणा कराने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?---**वादी**

4. आया साबिक आराजीयात नम्बर 3466 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एंव आराजी नम्बर 3467/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के हक एंव कब्जे की भूमि थी जिसे वादी के नाम गलत तौर दर्ज कर देने से वादी ने दिनांक 10.12.67 को प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 के पिता के नाम पुनः भूमि दर्ज कराने बाबत् इकरारनामा लिखकर स्वीकृति दी एंव उसकी पालना में भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता दीपा के नाम दर्ज की गई, अतः वादी इस स्वीकृति को मना करने से विबंधित (ऐस्टोप्ड) है? ---**प्रतिवादीगण**

4-"अ" आया वादी का उक्त भूमि पर 6.-70 वर्ष से कब्जा नहीं रहा है तथा पिछले 25 वर्ष से ज्यादा अवधि से प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा होकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे है?--**प्रतिवादीगण**

4-"ब" आया राज्य सरकार को धारा 80 जा0दी0 के तहत नोटिस नहीं देने से दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है? --**प्रतिवादीगण**

4-"स" आया वाद पत्र वादी सर्वथा बेरून मियाद है?--**प्रतिवादीगण**

5. अनुतोष।

पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत होने पर **वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में** वादी रोडू पिता माहाराम का शपथ पत्र पेश किया गया परन्तु उक्त गवाह को परीक्षित नहीं करवाया गया। वादी रोडू की ओर से नन्दकिशोर पुत्र रोडू के पक्ष में जनरल पॉवर ऑफ अटोर्नी निष्पादित कर कथन किया कि वादी अत्यधिक वृद्धावस्था में है, चलने-फिरने में असमर्थ है इसलिये नन्दकिशोर को उक्त प्रकरण में वादी की ओर से पैरवी करने का अधिकार दिया गया और वादी साक्ष्य में नन्दकिशोर पुत्र रोडू आचारज का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त गवाह को परीक्षित करवाया गया तथा **दस्तावेजी साक्ष्य में** निम्नलिखित दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये-

प्रदर्श-1 जमाबन्दी महक्मा बन्दोबश्त राज्य उदयपुर मेवाड़ मौजा पुर परगना पुर की प्रमाणित प्रतिलिपि।

6/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रदर्श-2 जमाबन्दी संवत् 2057-2060 की प्रतिलिपि।
प्रदर्श-3 भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 की प्रतिलिपि।
प्रदर्श-4 जनरल पॉवर ऑफ अटोर्नी की प्रति।

दिनांक 26.11.2014 को अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर दिनांक 03.10.2011 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2011 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से पेशशुदा दस्तावेजो को शपथ पत्र के माध्यम से प्रदर्श करवाये जाने हेतु निवेदन किया। न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.01.2025 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी खारिज किया गया और न्यायहित में यह आदेश भी पारित किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो को न्याय निर्णयन् में उपयोग में लिया जायेगा। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत दस्तावेजो का विवरण निम्नलिखित है-

1. विवादित आराजीयात माफी की होने से व विवादित जमीन माहाराम की मृत्यु हो जाने से उनकी बेवा नन्दु के नाम दर्ज हुई। इस हेतु जागीर वेलीवेशन एक्ट के तहत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र माननीय एडिशनल कलेक्टर के न्यायालय से प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो मुकदमा नम्बर 265/1960 दर्ज हुआ। उस निर्णय की प्रमाणित प्रति हमराह पेश है।
2. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्रमाणित नकल।
3. जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति ग्राम पुर संवत् 2034 से 2037 जिसमें मौजूदा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता वल्द मगना का नाम दर्ज है।
4. मतदाता सूची विधानसभा भीलवाड़ा की जिसमें ग्राम पुर भी इस विधानसभा का क्षेत्र रहा है। जिसमें दीपा वल्द मगना आचारज का नाम दर्ज है, की प्रमाणित नकल।
5. मतदाता सूची सन् 1982 की प्रमाणित नकल।
6. मौजूदा प्रतिवादीगण जो मृतक मगना के पुत्रो के पुत्र व पोत्र है, ने आराजी संख्या 8623 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी नन्दकिशोर को विक्रय कर रजिस्ट्री करवाई है, की प्रमाणित नकल।
7. आराजी संख्या 2976 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नन्दकिशोर के पक्ष में दिनांक 17.06.76 को बिल एवज 1000/- रूपये में विक्रय कर रजिस्ट्री करवाई है, की प्रमाणित नकल।
8. खसरा गिरदावरी संवत् 2026 से 2029 की प्रमाणित नकल।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी0डब्ल्यु-1 पन्नालाल वल्द दीपाजी अचारज, डी0डब्ल्यु-2 रतनलाल वल्द दीपाजी, डी0डब्ल्यु-3 ऊंकार वल्द रतनाजी रैगर के शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये परन्तु उक्त गवाहान को परीक्षित नहीं करवाया गया इसलिये उक्त गवाहान के बयान नहीं पढे जायेगे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से **दस्तावेजी साक्ष्य में** निम्नलिखित दस्तावेजात् पर प्रदर्श अंकित किये गये-परन्तु चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने साक्षियो को परीक्षित नहीं करवाया है तथा मुख्य परीक्षा नहीं करवाई है और मुख्य परीक्षा में दस्तावेजो को प्रदर्शित नहीं

6/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

किया गया है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पार्ट/हिस्से पर नहीं पढी जायेगी बल्कि वादीगण के पार्ट व हिस्से पर प्रतिवादीगण की साक्ष्य को पढे जायेगे।

प्रदर्श ए-1 जमाबन्दी संवत् 2034-2037 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श ए-2 जमाबन्दी संवत् 2036-2039 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श ए-3 जमाबन्दी संवत् 2041-2044 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श ए-4 जमाबन्दी संवत् 2045-2048 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श ए-5 जमाबन्दी संवत् 2049-2052 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श ए-6 जमाबन्दी संवत् 2057-2060 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श ए-7ए- लिखावट की फोटो प्रति।
प्रदर्श ए-8 भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा फार्म संख्या 1 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श ए-9 भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा परिशोधन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
प्रदर्श ए-10 भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा नोटिस की प्रतिलिपि।
प्रदर्श ए-11 भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान की प्रतिलिपि।

दौराने वाद वादी रोडू का देहान्त होने पर उसके कायम मुकामान को विधिवत् रूप से अभिलेख पर लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 पन्नालाल फौत होने पर उसके कायम मुकामान को विधिवत् रूप से अभिलेख पर लिया गया तथा संशोधित उनवान अभिलेख पर लिया गया जो शामिल पत्रावली है।

दिनांक 09.03.2010 वादी साक्ष्य नन्दकिशोर पुत्र रोडू से प्रतिवादी अधिवक्ता ने जिरह की। दिनांक 09.03.2010 को वादी साक्ष्य बन्द की गई और पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते प्रतिवादी की साक्ष्य में नियत की गई। दिनांक 19.04.2010 व 04.05.2010 को प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य में गवाहान के शपथ बतौर साक्ष्य पेश किये।

दिनांक 11.06.2010 को वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया। दिनांक 13.01.2011 को प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजो की पठनीय प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 22.02.2011 को प्रतिवादी अधिवक्ता को दस्तावेजो की पठनीय प्रतियां उपलब्ध कराई गई। दिनांक 20.04.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 सी0पी0सी0 का जवाब पेश किया गया। दिनांक 20.06.2011 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 पर बहस सुनी गई। दिनांक 04.07.2011 को उक्त प्रार्थना पत्र पर मजीद बहस सुनी गई। आदेश दिनांक 12.07.2011 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र 200/- रूपये की कोस्ट पर स्वीकार कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को अभिलेख पर लिया गया और प्रकरण में आगामी पेशी वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी की जिरह हेतु नियत की गई। उक्त आदेश दिनांक 12.07.2011 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी याचिका संख्या 6680/2011 बउनवानी पन्नालाल बनाम रोडू वगैरह दायर होने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 13.02.2014 पारित फरमा कर उक्त निगरानी याचिका सारहीन होने के आधार पर खारिज की गई और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

6/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 को विधिसम्मत माना गया।

माननीय राजस्व मण्डल के पत्र क्रमांक निग/ टीए/ 6680/ 11/ भीलवाड़ा/2183 दिनांक 19.02.2014 द्वारा पत्रावली वापस लौटाने के उपरान्त पत्रावली इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुई जिस पर नवीन वाद संख्या 34/2014 बउनवानी रोड़ू बनाम पन्नालाल वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई और प्रकरण में आगामी पेशी साक्ष्य प्रतिवादी से जिरह हेतु नियत की गई। दिनांक 05.07.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी नहीं हुई तथा साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अनेक मर्तबा अवसर दिये जा चुके है इस कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई तथा पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते अन्तिम बहस हेतु नियत की गई।

दिनांक 26.11.2014 को अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर दिनांक 03.10.2011 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2011 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से पेशशुदा दस्तावेजो पर शपथ पत्र के माध्यम से प्रदर्श करवाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.10.2022 का उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु अवसर चाहा गया। दिनांक 20.01.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। निर्णय दिनांक 29.01.2025 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया और न्यायहित में यह आदेश भी पारित किया गया कि वादी के उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो को न्याय निर्णयन् में उपयोग में लिया जायेगा। पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते अन्तिम बहस में नियत की गई।

बहस अन्तिम सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यो, प्रदर्शित दस्तावेजो व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वादीगण का दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। विद्धान अभिभाषक वादीगण की ओर से न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये, जिनका सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

विद्धान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विद्धान अभिभाषक वादीगण के तर्को का विरोध करते हुए अपने जवाबदावा में वर्णित तथ्यो व दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। तनकी विवेचन व विश्लेषण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जो निम्नांनुसार है-

तनकी नम्बर-1 आया साबिक आराजी नम्बर 3466 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा व आराजी नम्बर 3467 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वादी के खातेदारी अधिकार की है?

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तनकी नम्बर-2 आया हाल सैटलमेण्ट वालो ने वादी की भूमि साबिक नम्बर 3466 व 3467 के नवीन नम्बर 8450 रकबा 19 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर व आराजी नम्बर 9346/8601 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व आराजी नम्बर 8601 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी, इन आराजीयात को वादी अपने नाम पर कराने का अधिकारी है?

तनकी नम्बर-3 आया वादी उपरोक्त आराजीयात अपने नाम पर घोषणा कराने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 3 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार वादी के जिम्मे रखा गया है। चूँकि तथ्यो की पुनरावृति पर अंकुश लगाने के आशय से उक्त वर्णित तनकीयात को एकसाथ निर्णीत किया जा रहा है।

उक्त तनकीयात के संबंध में वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किया कि वादी की खातेदारी अधिकार व कब्जे की आराजीयात ग्राम पुर में स्थित है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 3466 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा व आराजी नम्बर 3467 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा है। जिसके हाल सैटलमेण्ट में निम्न आराजी नम्बर कायम किये गये-

आराजी नम्बर	रकबा
8450	19 बिस्वा
9346/8601	2 बीघा 8 बिस्वा
8601	1 बीघा 7 बिस्वा
कुल किता 3	कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा

हाल सैटलमेण्ट वालो ने गलत तौर पर वादी के खातेदारी अधिकार व कब्जे की आराजी को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी, जिसमें से आराजी नम्बर 8450 रकबा 19 बिस्वा प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी नम्बर 3 के नाम पर व आराजी नम्बर 9346/8601 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व आराजी नम्बर 8601 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। जबकि सैलमेण्ट वालो को कोई अधिकार वादी के नाम से प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज करने का नहीं है। इस कारण उपरोक्त आराजीयात हाल नम्बर की वादी के नाम पर दर्ज कराई जाना आवश्यक है।

यह घोषणा भी कराया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त जायदाद जिसके हाल नम्बर उपरोक्त दर्ज किये गये है, वादी के खातेदारी अधिकार की है व प्रतिवादीगण को इन आराजीयात में जो वादी के कब्जे काश्त में है, उसमें दखल करने, कब्जा करने व उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादीगण के नाम पर उपरोक्त आराजीयात होने से प्रतिवादीगण हमसलाह हो दिनांक 08.07.2002 को वादी को धमकी दी कि हम तो इन आराजीयात पर कब्जा करेगे व फसल तैयार होने पर हम ले जायेगे, इस कारण वादी को नोइयत वाद दिनांक 08.07.2002 से उत्पन्न होकर जारी है।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे- कि हाल आराजी नम्बर 8450, 9346/8601 व 8601 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वादी के खातेदारी अधिकार व कब्जे की है, इस अमर की घोषणा कराये जाना आवश्यक है व इस आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का नाम हटा वादी के नाम पर खातेदारी अधिकार में दर्ज कराये जाने का आदेश प्रतिवादी नम्बर 4 को दिलाये जाना आवश्यक है व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि उपरोक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण दखल न करे व न करावे एंव वादी के उपयोग-उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न न करे, न करावे तथा आराजीयात पर कब्जा न करे एंव यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण कब्जा कर ले तो कब्जा वादी को दिलाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के शपथ पत्र में भी उक्त कथनो की ताईद की है, जिनको जिरह में कोई आँच नहीं आई है। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में **प्रदर्श-1** जमाबन्दी महक्मा बन्दोबश्त राज्य उदयपुर मेवाड़ मौजा पुर परगना पुर की प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रदर्शित करवाया है। प्रदर्श-1 में खसरा नम्बर 3466 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 3467 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी कॉलम नम्बर 2 में रोड़ा वल्द माहाराम आचारज साकिन देह माफीदार दर्ज रिकार्ड है तथा **प्रदर्श-3** भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खसरा मिलान क्षेत्रफल है जिसमें गत खसरा नम्बर 3466मी. के वर्तमान खसरा नम्बर 9346/8601 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कायम होना दर्ज रिकार्ड है तथा गत भूमाप में कृषक का नाम रोड़ा मुतबना माहाराम आचारज दर्ज है तथा वर्तमान कृषक का नाम दीपा पिता माहाराम आचारज दर्ज रिकार्ड है तथा विशेष विवरण के कॉलम नम्बर 26 में आया रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा 8601 से दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श-1 व प्रदर्श-3 में दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो से विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी की होना प्रमाणित है।

प्रदर्श-2 जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 के खाता संख्या नया 970 पुराना 515 में वर्तमान खसरा नम्बर 8601 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 9346/8601 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी पन्नालाल, रतनलाल पिता दीपा आचारज (मूल प्रतिवादी संख्या 1 व 2) साकिन देह खातेदार दर्ज है तथा खाता संख्या नया 2212 पुराना 1179 में वर्तमान खसरा नम्बर 8450 रकबा 19 बिस्वा की खातेदारी हजारी पि0 हीरा अचारज (प्रतिवादी संख्या 3) साकिन देह खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श-1 व प्रदर्श-3 से साबित है कि भू-प्रबन्ध विभाग ने सैटलमेण्ट के दौरान मूल वादी रोड़ा वल्द माहाराम आचारज की खातेदारी की कृषि भूमि को सर्वथा गलत तरीके से अपनी क्षेत्राधिकारिता का दुरूपयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से उपरोक्त वर्णितानुसार खातेदारी दर्ज कर दी गई। जबकि भू-प्रबन्ध विभाग को पूर्व खातेदारी प्रविष्टियों की पुनरावृति/रिपीट करनी चाहिये थी। सैटलमेण्ट विभाग को किसी भी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने अथवा दीगर व्यक्ति को खातेदारी प्रदान करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

विद्धान अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRT 2020(1) Page 24 Abhay Singh V/s State of Rajasthan में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दु में यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया कि- Settlement is not entitiled to change the existing entry without any order of the

6/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

Court. इसी प्रकार RRT 2019(2) Page 970 State of Rajasthan & Anr. V/s Puran में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दु में यह सिद्धान्त प्रतिपादित करमाया गया कि Settelment deprarment is not competent to change the existing entries.

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण के उक्त कथनो के खण्डन में अपने जवाबदावा में कथन किया कि– यह गलत होकर अस्वीकार है कि वाद पत्र में वर्णित साबिक अथवा नये नम्बरान् की भूमि वादी के कानूनी खातेदारी अधिकार एंव कब्जे की रही है। साबिक एंव नये नम्बरान् की भूमि पर न तो कभी वादी का कानूनी हक कायम हुआ है एंव न ही यह भूमि वादी के कब्जे काश्त में कभी रही है। साबिक खसरा नम्बरान् के जो नये नम्बरान् बनना वादी ने बताया है वह तथ्य स्वीकार नहीं है। इस तथ्य को वादी साबित करावे। **आराजी नम्बर 8450 से जवाबदाता प्रतिवादीगण का कोई संबंध नहीं है।** अन्य दो नम्बरान् की भूमि को भू-प्रबन्ध विभाग वालो ने जवाबदाता प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं की है। इन दोनो नम्बरान् की भूमि पूर्व में जवाबदाता प्रतिवादीगण के पिता दीपाजी के नाम पर दर्ज थी जो भूमि दीपाजी की मृत्यु पर विरासत से जरिये इन्तकाल नम्बर 241 दिनांक 25.07.1977 द्वारा जवाबदाता प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हुई है जिसका हवाला संबंधित जमाबन्दी संवत् 2034 में दर्ज है। आराजीयात नम्बर 9346/8601 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा एंव नम्बर 8601 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा पर जब से जवाबदाता प्रतिवादीगण को समझ आई है तब से जवाबदाता प्रतिवादीगण के पिताजी दीपाजी का हक एंव कब्जा काश्त देख रहे है एंव दीपाजी के जीवनकाल में जवाबदाता प्रतिवादीगण दीपाजी के साथ इन नम्बरान् की भूमि पर काश्त करते थे एंव दीपाजी की मृत्यु के बाद जवाबदाता प्रतिवादीगण इन नम्बरान् की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है एंव इस भूमि का लगान राज्य सरकार को जमा कराते चले आ रहे है। विवादित भूमि न तो वादी के खातेदारी अधिकार की है एंव न ही वादी के कब्जे की है अतः वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारो की घोषणा अथवा स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। वादी ने वाद पत्र में मनगढन्त व निराधार कथन दर्ज किये है। वादी को दिनांक 08.07.2002 को जवाबदाता प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनायवाद उत्पन्न नहीं हुई है। उक्त वर्णित नम्बरान् की भूमि उक्त वर्णित इन्तकाल से जवाबदाता प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है। जिस इन्तकाल आदेश के विरूद्ध वादी ने कोई अपील पेश नहीं की है। उक्त हाल दोनों नम्बरान् की भूमि जवाबदाता प्रतिवादीगण के पिता के नाम पिछले 35 वर्षो से ज्यादा अवधि से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है एंव अर्सा 70 वर्ष से ज्यादा अवधि से इस भूमि पर दीपाजी एंव दीपाजी के बाद जवाबदाता प्रतिवादीगण का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन इन सब तथ्यो को छुपाते हुए वादी ने गलत बिनायदावा बताकर एंव सही बिनायवाद को छिपाकर निराधार वाद पत्र पेश किया है। विवादित आराजीयात पर वादी का कभी कोई कानूनी हक एंव कब्जा नहीं रहा है एंव न ही ऐसा आज है। अतः न तो जवाबदाता प्रतिवादीगण द्वारा नया कब्जा किये जाने का प्रश्न है एंव न ही वादी को कब्जा दिलाया जा सकता है। **विशेष उजर** में अंकित किया गया कि साबिक आराजीयात नम्बर 3466 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एंव नम्बर 3467/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा जवाबदाता प्रतिवादीगण के पिता दीपाजी के हक एंव कब्जे की भूमि दीपाजी के पिता के समय से थी। इन दोनों नम्बरान् की भूमि गलत तौर से वादी रोडू के नाम दर्ज हो गई थी जबकि इस गलत

16/2025
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

अंकन के बावजूद इस भूमि पर कब्जा दीपाजी का चला आ रहा था। अतः वादी रोडू ने दिनांक 10.12.67 तद्नुसार मिति मिगसर सुद नवमी संवत् 2024 को स्टाम्प पर एक इकरारनामा दीपाजी के पक्ष में इस आशय का तहरीर कर दिया कि इन दोनों साबिक नम्बरान् की भूमि दीपाजी की बापी होकर दीपाजी के कब्जे में लिखावट लिखने के दिन तक कब्जे में चली आ रही है। वादी रोडू ने इस लिखावट में यह भी इकरार किया कि इस भूमि पर उसका (रोडू का) कोई मालिकाना हक नहीं है लेकिन गलती से सरकारी रेकार्ड में उसके (रोडू के) नाम दर्ज हो गई है अतः वह (रोडू) इस भूमि को सरकार में दरख्वास्त देकर दीपा के नाम दर्ज करा देगा। जिस इकरारनामें पर रोडू ने गवाहान की मौजूदगी में अपना अंगुठा किया। जिस इकरारनामे की पालना में वादी रोडू ने भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान सक्षम अधिकारी के समक्ष दीपाजी के साथ उपस्थित होकर इकरारनामें में वर्णित में वर्णित तथ्यो को सही मानते हुए भूमि को दीपाजी के नाम दर्ज करा दी एंव वादी रोडू ने फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा पर अपना अंगुठा कर दिया। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक नम्बरान् के नये नम्बरान् की भूमि की कच्ची एंव पक्की पानड़ी दीपाजी के नाम जारी की एंव संबंधित नये वर्षो की जमाबन्दी में भूमि दीपाजी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुई। पिछले करीब 25 वर्ष से ज्यादा अवधि तक यह भूमि जवाबदाता प्रतिवादी के पिता दीपाजी एंव उनकी मृत्यु के बाद जवाबदाता प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है एंव उनका कब्जा होकर वो ही लगान जमा करा रहे है। लेकिन वादी ने इतनी लम्बी अवधि तक चुप रह कर निराधार बिनाय वाद बताते हए वाद पत्र पेश किया है। उक्त इकरारनामे द्वारा एंव भू-प्रबन्ध की कार्यवाही में वादी की सहमति एंव स्वीकृति के आधार पर भूमि सही तौर पर दीपाजी के नाम दर्ज हुई है अतः वादी अपने एडमिशन के विरूद्ध नहीं जा सकता है एंव वह इस स्वीकृति को मना करने से विबंधित (ऐस्टोप्ड) है। वादी का उक्त भूमि पर पिछले करीब 60-70 वर्ष से कभी कब्जा नहीं रहा एंव पिछले करीब 25 वर्ष से ज्यादा अवधि में भूमि जवाबदाता प्रतिवादीगण एंव उन्के पिता के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है। अतः इतनी लम्बी अवधि तक वादी ने चुप रहकर निराधार वाद पत्र पेश किया है। जवाबदाता प्रतिवादीगण के पक्ष में हुए उक्त इन्तकाल आदेश एंव दीपाजी के नाम हुए इन्द्राज पर लम्बी अवधि तक चुप रहकर वादी ने कोई कार्यवाही नहीं कराई है एंव निराधार तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश किया है जो मय विशेष हर्जा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य के शपथ पत्र में उक्त तथ्य दर्ज किये है परन्तु प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्षियान् की मुख्य परीक्षा नहीं करवाई और न ही जिरह हेतु गवाहान को उपस्थित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यं प्रदर्श ए-1 लगायत प्रदर्श ए-11 तक दस्तावेजात् पर प्रदर्श अंकित किये है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्यो को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में नहीं पढा जा सकता क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने गवाहान को परीक्षित नहीं करवाया एंव दस्तावेजी साक्ष्यो को गवाहान द्वारा प्रदर्शित नहीं करवाये गये है। प्रतिवादी के जवाबदावा में वर्णित तथ्यो, मौखिक व दस्तोवेजी साक्ष्यो को वादीगण के भाग/पार्ट पर पढा जा सकता है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में **प्रदर्श ए-7ए**- लिखावट/इकरारनामा की फोटो प्रति प्रस्तुत की है प्रथम तो उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड व अन-स्टाम्पित है अर्थात् पूर्ण मुद्रांकित नहीं है इसलिये उक्त

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। द्वितीय इकरारनामा के आधार पर स्वत्व का हस्तान्तरण नहीं होता है। वृतीय विद्धान अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRT 2020(1) Page 37 Ramkalyan & Ors. V/s Kalu &Anr. में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि– Settlement deprartment cannot change the entry even on the basis of consent of the parties. उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर प्रदर्श ए–7 लिखावट/इकरारनामा के आधार पर दी गई सहमति के आधार पर भी भू–प्रबन्ध विभाग को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एंव इनके पूर्वज को खातेदारी प्रदान करने एंव मूल वादी की खातेदारी समाप्त करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। इस कारण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व इनके पूर्वजो के नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियां गैरकानूनी, अवैध व विधि विरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण के वाद पत्र में वर्णित तथ्यो का खण्डन करने में पूर्णतया असफल रहे है तथा वादीगण तनकी नम्बर 1, 2 व 3 को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है इसलिये तनकी नम्बर 1, 2 व 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध एंव वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर–4 आया साबिक आराजीयात नम्बर 3466 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एंव आराजी नम्बर 3467/2 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के हक एंव कब्जे की भूमि थी जिसे वादी के नाम गलत तौर दर्ज कर देने से वादी ने दिनांक 10.12.67 को प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 के पिता के नाम पुनः भूमि दर्ज कराने बाबत् इकरारनामा लिखकर स्वीकृति दी एंव उसकी पालना में भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता दीपा के नाम दर्ज की गई, अतः वादी इस स्वीकृति को मना करने से विबंधित (ऐस्टोप्ड) है?

तनकी नम्बर 4–"अ" आया वादी का उक्त भूमि पर 60.–70 वर्ष से कब्जा नहीं रहा है तथा पिछले 25 वर्ष से ज्यादा अवधि से प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा होकर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चले आ रहे है?

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे रखा गया है। चूँकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपनी मौखिक साक्ष्य के गवाह डी0डब्ल्यु–1, डी0डब्ल्यु–2 व डी0डब्ल्यु–3 को परीक्षित नहीं करवाया है और मुख्य परीक्षा करवाये बिना ही अपनी मनमर्जी से दस्तावेजो पर प्रदर्श ए–1 लगायत प्रदर्श ए–11 अंकित किये गये है। चूँकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने गवाहान का परीक्षण नहीं करवाने के कारण प्रतिवादीगण के पक्ष में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो को नहीं पढा जा सकता।

न्यायिक दृष्टान्त 2017(4) CJ(Cri.) Raj.) 2040 Evidance Act- Mere admission of a document in evidence does not amount to it's proof similarily, mere marking of an exhibit of a document does not dispense with it's proof. साक्ष्य अधिनियम– केवल दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण करना इसके प्रमाण की श्रेणी में नहीं आता है–समान रूप से केवल दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करना इसके प्रमाण का परिहार नहीं कर सकता। हालांकि उक्त न्यायिक दृष्टान्त फौजदारी प्रकरण से संबंधित है परन्तु साक्ष्य अधिनियम से संबंधित भी है इसलिये उक्त न्यायिक दृष्टान्त के भाव हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते है।

6/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रदश ए-7 इकरारनामा/लिखावट अन-रजिस्टर्ड, अन-स्टाम्पित है जो पूर्ण मुद्रांकित नहीं है एंव फोटो प्रति है जो साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं है। इकरारनामा के आधार पर स्वत्व का हस्तान्तरण नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाबदावा में वर्णित तथ्य साबित नहीं है। जवाबदावा में वर्णित मौखिक कथनो/साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो को बहाल/यथावत नहीं रखा जा सकता है और ना ही मौखिक साक्ष्य के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2020(1) पेज 1 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 5595/2019 बउनवानी अमरसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 खातेदारी अधिकारो की घोषणा के वाद में महत्वपूर्ण बिन्दु में यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया कि- Imp. Point- Khatedari rights cannot be declared only on the basis of oral evidence.

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकी नम्बर-4 एंव 4-अ प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर-4-"ब" आया राज्य सरकार को धारा 80 जा0दी0 के तहत नोटिस नहीं देने से दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है?

इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण के जिम्मे रखा गया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट तथ्य दर्ज किये कि प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया है व प्रतिवादी नम्बर 4 से कोई सहायता नहीं चाही गई है। मात्र राजस्व रिकार्ड में डिक्री के अनुसार वादी का नाम अंकित कराना है। इस कारण यह वाद बिना नोटिस दिये पेश किया जा रहा है। वादीगण की ओर से अपने उक्त कथनो के समर्थन में **न्यायिक दृष्टान्त 2023(1) सी.जे.(सिविल) (राज.) पेज 156** एस.बी. सिविल प्रथम अपील नम्बर 183/2008 बउनवानी डाबी व अन्य बनाम रामेश्वरीलाल व अन्य निर्णीत दिनांक 30.01.2023 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-धारा 80-** प्रयोज्यता- धारा 80 के अर्न्तगत राजकीय/लोक अधिकारियो को नोटिस केवल तभी तामील करवाया जाना अपेक्षित है जब उनके विरूद्ध अनुतोष का दावा किया गया हो-वर्तमान वाद में प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 व 6 औपचारिक पक्षकार थे, उनके विरूद्ध किसी भी विशिष्ट अनुतोष की मांग नहीं की गई-निर्धारित, नोटिस जारी किया जाना अपेक्षित नहीं था।

वाद पत्र मे वर्णित उक्त तथ्यो के आधार पर उक्त वर्णित कानूनी तनकी नम्बर 4-ब भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष मे निर्णीत की जाती है।

तनकी नम्बर 4-"स" आया वाद पत्र वादी सर्वथा बेरून मियाद है? वादीगण ने दावा बाबत् घोषणात्मक प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में घोषणात्मक वाद हेतु कोई कालावधि निर्धारित नहीं है तथा वादहेतुक में वर्णित तथ्यो के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अन्दर मियाद है। इस प्रकार उक्त कानूनी तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

6/6/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

चूंकि सभी तनकीयात वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत हुई है इसलिये वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतएव वादीगण का दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि हाल आराजी नम्बर 8450, 9346/8601 व 8601 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वादीगण के खातेदारी अधिकार व कब्जे की है व इस आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का नाम हटाया जाकर/विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज करने हेतु प्रतिवादी नम्बर 4 तहसीलदार, भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में प्रतिवादीगण दखल, बाधा इत्यादि न करे, न करावे तथा उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण कब्जा न करे। हर्जा खर्चा मुकदमा मय मेहनताना वकील पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/6/2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

6/6/2025

अरुण कुमार जैन
सहायक कलेक्टर
आर.ए.एस.
भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः- 34/2014 (769/2002)
जीसीएमएस नम्बर :-2014/00087

1. रोड़ा वल्द माहाराम आचारज (फौत) के कायम मुकामान-
   1/1. नन्दकिशोर पुत्र रोड़ा आचारज
   1/2. गोविन्द पुत्र प्रभूलाल आचारज
   1/3. पूजा पुत्री प्रभूलाल आचारज
   1/4. बाली पत्नि प्रभूलाल आचारज
   समस्त निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

---वादीगण

-: बनाम :-

1. पन्नालाल पुत्र दीपा आचारज (फौत) के कायम मुकामान-
   1/1- हरकलाल पुत्र स्व0 पन्नालाल आचारज
   1/2- हीरालाल पुत्र स्व0 पन्नालाल आचारज
   1/3- जमना देवी पुत्री स्व0 पन्नालाल आचारज
   1/4- पुष्पा देवी पुत्री स्व0 पन्नालाल आचारज
   1/5- मांगी देवी पुत्री स्व0 पन्नालाल आचारज
   1/6- गणपत पुत्र स्व0 पन्नालाल आचारज
   समस्त निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

2. रतनलाल पुत्र दीपा आचारज (ब्राह्मण)
3. हजारी पुत्र हीरा आचारज (ब्राह्मण)
   समस्त निवासी पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा।

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------- मिनजानिब मुद्धई रूबरू ---------- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि हाल आराजी नम्बर 8450, 9346/8601 व 8601 कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा वादीगण के खातेदारी अधिकार व कब्जे की है व इस आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 का नाम

6/6/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

स्थाया जाकर/विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज करने हेतु प्रतिवादी नम्बर 4 तहसीलदार, भीलवाड़ा को आदेशित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग-उपभोग में प्रतिवादीगण दखल, बाधा इत्यादि न करे, न करावे तथा उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण कब्जा न करे। हर्जा खर्चा मुकदमा मय मेहनताना वकील पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निज-शून्य मुबलिग--शून्य बाबत् -शून्य खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह-------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदायगी तक --शून्य---- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 6/6/2025 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत
6/6/2025
अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-
महनताना वकील	-	-
खर्चा गवाहान	-	-
फीस कमिशनर बाबत्	-	-
इजराय		
हुक्मनामा	-	-
मुतफरिक	-	-
मीजान	-	-

मुद्धायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-
महनताना वकील	-	-
खर्चा गवाहान	-	-
फीस कमिशनर बाबत्	-	-
इजराय	-	-
हुक्मनामा	-	-
मुतफरिक	-	-
मीजान		

मुहर

दस्तखत
6/6/2025
अरूण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
आर.ए.एस.
भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा